न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री रमेश चन्द्र बहेडिया,R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 48 / 22 (वाद)

GCMS NO: 2022/235

अनवान

1. श्री बंशीलाल पिता नारायणलाल जी ब्राह्मण निवासी निमडी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री चम्पालाल पिता नारायणलाल जी ब्राह्मण निवासी निमडी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

..........वादीगण

बनाम

1. श्री जुगलकिशोर पिता नारायणलाल जी ब्राह्मण निवासी निमडी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार / उप पंजियक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित–

1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रतिवादी ।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: :निर्णयः :–

दिनांक : 24.04.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसमें प्रारम्भिक डिक्री 13.08.2018 को जारी की गई। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार भीण्डर द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिस पर अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का पेश कर आपत्ति बताई कि दिनांक 05.06.2020 को प्रारम्भिक डिक्री की पालना हेतु सुचना मिली जिस पर वादीगण मौके पर पहुंचे जहां पर केवल पटवारी साहब व आर.आई. साहब आये एवं मौके एवं कब्जे अनुसार खेतों की रफ सुची बनाई जिसमें वादीगण जहां काबिज है उन पर वादीगण का नाम लिखा एवं प्रतिवादी जहां काबिज है उनपर प्रतिवादी का नाम लिखा तथा वादीगण एवं जुगलकिशोर के हस्ताक्षर मौके पर करवाये किन्तु बंटवाडा प्रस्ताव में बंटवाडा रफ सुची अनुसार नहीं कर गलत तरीके से बना दिया गया। साथ ही आपत्ति जताई कि मौके पर वादग्रस्त आराजी न. 465 में प्रतिवादी कमला देवी का कोई कब्जा नहीं है किन्तु आराजी न. 465/2 के रूप में जमीन प्रतिवादी कमलादेवी के नाम पर गलत दर्शाई हुई है जिससे पुनः मौके कब्जे अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव मंगवाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत कर अधिवक्ता प्रतिवादी ने बताया की माननीय न्यायालय आदेश की पालना में मौके पर तहसीलदार साहब, पटवारी साहब, आर.आई. साहब तीनों ने मिलकर मौके पर मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर तीनों अधिकारीयों के हस्ताक्षर है साथ ही बताया कि आराजी न. 464, 465 प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती कमला देवी का 1/3 का हिस्सा है तो पुरा आराजी संख्या 465 वादीगण के हिस्से में कैसे रखा जा सकता है। आराजी संख्या 465 वादीगण के नाम रखा जावे तो प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्सा 1 बिघा 13 बिस्वा किस प्रकार प्राप्त होगी यह तथ्य भी समझ से परे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. का अस्वीकार कर बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का [illegible] किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों [illegible] की [illegible] बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया। मौके पर्चे पर सभी उपस्थित पक्षकारान के [illegible]क्षर [illegible] किन्तु बंटवाडा फहरिस्त पर वादीगण द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये [illegible] वादी द्वारा आपत्ति स्वरूप कहा कि बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार भीण्डर [illegible] उपस्थिति में [illegible] बनाया गया हैं जबकि बंटवाडा फहरिस्त व मौके पर्चे पर तहसीलदार [illegible] हुये स्पष्ट है कि बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार भीण्डर की उपस्थिति में ही [illegible] वादी की उक्त आपत्ति [illegible]हीन है। वादी द्वारा अन्य आपत्ति स्वरूप कहा की बंटवाडा [illegible] कब्जे अनुसार नहीं बनाया तथा आराजी न. 465/2 में प्रतिवादी कमला देवी का नाम दर्शा दिया जबकि उक्त आराजी पर प्रतिवादी कमला देवी का कब्जा नही है उक्त आपत्ति के संबंध में जब प्रारम्भिक डिक्री आदेश दिनांक 13.08.2018 को देखते तो पाते है कि माननीय न्यायालय द्वारा पक्षकारान के बीच में विभाजन मिट्स एण्ड बाउन्डस के आधार पर हिस्से अनुसार किये जाने के आदेश दिये गये हैं। उक्त आदेश में कब्जे के आधार पर बंटवाडे के आदेश कही भी नहीं दिये गये है। वादग्रस्त आराजी न. 465 मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:56 IST
Reason: SelfAttested

न. 465 का रकबा 4 बिघा 3 बिस्वा है जिससे भी उक्त आराजी अकेले वादीगण क... नही की जा सकती। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त आपत्ति भी सारहीन हैं। अत... प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 जा.दी. में कथित आपत्ति सारहीन होने से प्रार्थना पत्र 151 ... अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार भीण्डर से बंटवाडा प्रस्ताव ... अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार ... जाता हैं। प्रकरण मे बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरें एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर ... फाईल किया जावें। परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा ... पटवार हल्का चारगदिया तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजीयात ... बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	कमलादेवी पत्नी भरत कुमार ब्राह्मम्ण निवासी भीण्डर खातेदार	464/1	0-09	कु. द्वि.	2.36
		465/2	1-04	कु. तृ.	6.32
	योग	किता 2	1-13	-	8.68
2.	बंशीलाल पिता नारायणलाल ब्राह्मम्ण निवासी निमडी खातेदार रहन SBBJ भीण्डर	465 मी.	1-13	बी. प्र. 0-03 कु.तृ. 1-10	7.90
		647/1	0-08	ए.सा. प्रथम	0.40
		742 मी.	0-05	ए.सा. प्रथम	0.25
		744 मी.	0-04	बी. प्र.	0.08
		759/2	0-02	बी. द्वि	0.02
		1112/2	0-03	खा. प्र.	0.31
		1538 मी.	0-12	मंगरी	0.10
	योग	किता 7	3-07	-	9.06
3.	जुगलकिशोर पिता नारायणलाल ब्राह्मम्ण सा. निमडी खातेदार	647/2	0-08	ए.सा. प्रथम	0.40
		742/2	0-05	ए.सा. प्रथम	0.25
		744/2	0-04	बी. प्र.	0.09
		759 मी.	0-03	बी. द्वि	0.02
		1112 मी.	0-03	खा. प्र.	0.31
		1539 मी.	0-12	ए.सा. द्वि.	0.45
	योग	किता 6	1-15	-	1.52
4.	चम्पालाल पिता नारायणलाल ब्राह्मम्ण सा. देह खातेदार	464 मी.	0-07	कु.द्वि.	1.83
		465/1	1-06	कु.तृ.	6.84
		647 मी.	0-08	ए.सा.प्रथम	0.39
		742/1	0-05	ए.सा.प्रथम	0.25
		744/1	0-04	बी.प्र.	0.08
		759/1	0-03	बी.द्वि.	0.02
		1112/1	0-03	खा.प्र.	0.32
		1538/1	0-03	मंगरी	0.02
		1539/1	0-08	ए.सा.प्र.	0.30
	योग	किता 9	3-07	-	10.05
5.	बंशीलाल जुगलकिशोर चम्पालाल पिता नारायणलाल ब्राह्मम्ण सा. [illegible] खातेदार रहन बंशीलाल 1/3 हिस्[illegible] SBBJ भीण्डर	[illegible]	0-04	खा.द्वि.	0.31
		[illegible]	0-01	खा.द्वि.	0.13
	योग	किता 2	0-05	-	0.44

अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो[illegible] पत्रावली [illegible] तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। निर्णय [illegible] हो[illegible]कर नम्बर से कम हो। पालना हेतु [illegible] लय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:56 IST
Reason: SelfAttested

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) भीण्डर, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः श्री रमेश चन्द्र बहेडिया,R.A.S
राजस्व वाद संख्या : 48 / 22 (वाद)
GCMS NO: 2022/235

अनवान

1. श्री बंशीलाल पिता नारायणलाल जी ब्राह्मण निवासी निमडी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री चम्पालाल पिता नारायणलाल जी ब्राह्मण निवासी निमडी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।

...........वादीगण

बनाम

1. श्री जुगलकिशोर पिता नारायण जी ब्राह्मण निवासी निमडी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री राज्य सरकार जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार / उप पंजियक भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता उभय पक्षकारान की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.04.2025 को श्री रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. सहायक कलक्टर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा निमडी पटवार हल्का चारगदिया, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजियात का बंटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	कमलादेवी पत्नी भरत कुमार ब्राह्मण निवासी भीण्डर खातेदार	464 / 1	0–09	कु. द्वि.	2.36
		465 / 2	1–04	कु. तृ.	6.32
	योग	किता 2	1–13	–	8.68
2.	बंशीलाल पिता नारायणलाल ब्राह्मण निवासी निमडी खातेदार रहन SBBJ भीण्डर	465 मी.	1–13	बी. प्र. 0–03 कु.तृ. 1–10	7.90
		647 / 1	0–08	ए.सा. प्रथम	0.40
		742 मी.	0–05	ए.सा. प्रथम	0.25
		[illegible] मी.	[illegible]–04	बी. प्र.	0.08
		759 / [illegible]	[illegible]–02	बी. द्वि.	0.02
		1112 / 2	[illegible]–03	खा. प्र.	0.31
		[illegible] मी.	0–12	मंगरी	0.10
	योग	किता 7	3–07	–	9.06
3.	जुगलकिशोर पिता नारायणलाल ब्राह्मण सा. निमडी खातेदार	647 / 2	0–08	ए.सा. प्रथम	0.40
		742 / 2	0–05	ए.सा. प्रथम	0.25
		744 / 2	0–04	बी. प्र.	0.09

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर भीण्डर प्र.सं. 48/22 अनवान श्री बंशीलाल बनाम श्री जुगलकिशोर निर्णय दिनांक 24.0[illegible]

		759 मी.	0–03	बी. द्वि	0.02
		1112 मी.	0–03	खा. प्र.	0.31
		1539 मी.	0–12	ए.सा. द्वि.	0.45
	योग	**किता 6**	**1–15**	**—**	**1.52**
4.	चम्पालाल पिता नारायणलाल ब्राह्मण सा. देह खातेदार	464 मी.	0–07	कु.द्वि.	1.83
		465/1	1–06	कु.तृ.	6.84
		647 मी.	0–08	ए.सा.प्रथम	0.39
		742/1	0–05	ए.सा.प्रथम	0.25
		744/1	0–04	बी.प्र.	0.08
		759/1	0–03	बी. द्वि.	0.02
		1112/1	0–03	खा.प्र.	0.32
		1538/1	0–03	मंगरी	0.02
		1539/1	0–08	ए.सा.प्र.	0.30
	योग	**किता 9**	**3–07**	**—**	**10.05**
5.	बंशीलाल जुगलकिशोर चम्पालाल पिता नारायणलाल ब्राह्मण सा. देह खातेदार रहन बंशीलाल 1/3 हिस्सा SBBJ भीण्डर	1184	0–04	खा.द्वि.	0.31
		1195	0–01	खा.द्वि.	0.13
	योग	**किता 2**	**0–05**	**—**	**0.44**

नोट— उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:24:56 IST
Reason: SelfAttested